—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 35/2022

उनवान

भंवरी देवी पत्नी शिवनारायण जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र देवा
2. रामराज पुत्र भंवरलाल
3. श्योराज पुत्र भंवरलाल
4. किसनी पत्नी मिश्री
5. सूरज पुत्र मिश्री समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
6. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया, शाखा तिहारी, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 6 अनुपस्थित, 7 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 16.10.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 3223 रकबा 0—15—0, 3226 रकबा 0—19—0 के हाल खसरा नम्बर 5444 रकबा 0.12 व 5443 रकबा 0.15 की आराजी वंर्किग जमाबंदी में देवा, उमराव, मिश्री पि. पोखर की खातेदारी थी। देवा की विरासत भंवरलाल पि. देवा के नाम दर्ज हुयी जो प्रतिवादी संख्या 1 है। उमराव ने अपना हिस्सा रामराज, श्योराज पि. भंवरलाल को बैचान किया जिस कारण उमराव का हिस्सा रामराज, श्योराज पि. भंवरलाल के नाम दर्ज हुआ, जो की प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। मिश्री की विरासत किसनी पत्नी मिश्री व लक्ष्मण, सुरज पि. मिश्री के नाम दर्ज हुयी, लक्ष्मण की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। लक्ष्मण पि. मिश्री के वारिस किसनी व सुरज प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है। इस प्रकार वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उक्त आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरियें पंजीकृत वि[illegible] दिनांक 12.05.2004 को वादी को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। क्रय दिनांक से ही [illegible] मुतनाजा पर काबिज काश्त हैं। [illegible] विक्रय पत्र में प्रतिवादी लक्ष्मण पुत्र मिश्री नाऔलाद फौ[illegible] संख्या 4 व 5 द्वारा बैचान किया गया जिसका [illegible] में है। आराजी मुतनाजा का अंकन राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम [illegible] के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से हाल राजस्व अभिलेख में खसरा [illegible]र 5444 प्रतिवादी सं[illegible] के नाम व खसरा नम्बर 5443 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम अंकन कर दिया गया। तथा प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर लिया है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:00:14 IST
Reason: SelfAttested

इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 3223 रकबा 0–15–0, 3226 रकबा 0–19–0 के हाल खसरा नम्बर 5444 रकबा 0.12 व 5443 रकबा 0.15 की आराजी वंर्किग जमाबंदी में देवा, उमराव, मिश्री पि. पोखर की खातेदारी थी। देवा की विरासत भंवरलाल पि. देवा के नाम दर्ज हुयी जो प्रतिवादी संख्या 1 है। उमराव ने अपना हिस्सा रामराज, श्योराज पि. भंवरलाल को बैचान किया जिस कारण उमराव का हिस्सा रामराज, श्योराज पि. भंवरलाल के नाम दर्ज हुआ, जो की प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। मिश्री की विरासत किसनी पत्नी मिश्री व लक्ष्मण, सुरज पि. मिश्री के नाम दर्ज हुयी, लक्ष्मण की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। लक्ष्मण पि. मिश्री के वारिस किसनी व सुरज प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है। इस प्रकार वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 थे। आराजी मुतनाजा का अंकन राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 5444 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 5443 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम अंकन कर दिया गया। तथा प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर लिया है। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत होने से जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पेरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादग्रस्त सम्पदा पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा गैर कानूनी तरीके से ऋण दिया गया है जबकि आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। प्रतिवादी संख्या 6 आराजी मुतनाजा के ऋण की राशि अन्य भूमि से वसुल कर सकता है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दिया गया ऋण वादी के हितों पर अप्रभावी है। राजस्व अभिलेख में उक्त विक्रय पत्र की पालना नही होने के कारण वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 5444 रकबा 0.12 व 5443 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:00:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरी बनाम भंवरलाल

दावा बाबत :— 88 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 35/2022
पेश करने की दिनांक — 22.02.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक कैलाश बीजावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 5444 रकबा 0.12 व 5443 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 10 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:00:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद